न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

[illegible]सीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 34 / 2025 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

धापूदेवी बनाम टीकमाराम वगैरा

वकील प्रार्थीगण :– श्री शाकर खान एच, श्री आईदानराम गोदारा

वकील विप्रार्थीगण :– श्री नरेश भादू

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक 10.06.2025

प्रार्थीनी धापूदेवी पत्नि भीखाराम, जाति जाट, निवासी ऐरोवाला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीनी के खातेदारी का खेत मौजा भूकरानसर (बाछड़ाऊ), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 309/233 रकबा 02.4767 हैक्टयर का आया हुआ है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीनी की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीनी अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीनी को विप्रार्थीगण सं. 1 से 44 के खातेदारी के ग्राम भूकरानसर व सोडियार पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन के खसरा सं. 303/231, 232, 325/233 में से चल कर प्रार्थीनी की जोत खसरा सं. 309/233 में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। इसलिए प्रार्थीनी को विप्रार्थीगण के खेत से अपनी जोत तक आने जाने के लिए रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश भादू ने वकालतनामा पेश किया। चाहे गये रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । उभयपक्ष अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट के परिशिष्ट ''अ'' ब[illegible] बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसील[illegible]प्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है [illegible] आत्यातिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के [illegible]विकल्प नही[illegible] जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया ग[illegible]खेत से गांव, आबादी[illegible]स्टेशन, स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः प्रार्थीनी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है वो ... संगत है। प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	303 / 231	28.8055	बा.सो.	20 फीट	00.3156	भूकरानसर	टीकमा / उदा वगैरा
2	232	09.6234	बा.दो.		00.2671	भूकरानसर	आसूराम / जेठा वगैरा
3	325 / 233	04.9533	बा.दो.		00.0243	भूकरानसर	भंवरलाल / मोडा मुन्नीदेवी / मोडा

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीनी को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में परिशिष्ट ''अ'' हरा रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीनी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा / टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी / संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी / डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीनी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीनी द्वारा देय होगी और प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण / प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीनी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में परिशिष्ट ''अ'' बरंग हरा 20 फीट ... रास्ता प्रार्थीनी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट ... फर्द ... अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीनी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित ... गया रास्ता ... दिए जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:44 IST
Reason: SelfAttested

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलग्न ... का नक्शा ट्रेस परिशिष्ट ''अ'' मे बरंग हरा दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

ना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीनी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीनी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **''रास्ता''** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीनी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीनी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में बरंग हरा दिए जाने का आदेश आज दिनांक 15.05.2025 को दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 303/231 में सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन के मुकदमा सं. 23/2023 में स्थगन आदेश जारी है, अतः निर्णय की पालना उक्त आदेश के अधीन रहेगी। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:44 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता **चौहान**)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

ग्राम किशनपुर
पैमाना 1" = 40 गट्ठा

रा. आ. सं. 31/2025
अनवान छोटूदेवी बनाम
धारा 251 A RLR Act